

	web site: ifad.rajasthan.gov.in E-mail: dir.ifad@raj.gov.in		0141-2740179	
निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, ए, ब्लॉक, ज्योति नगर, राजस्थान-जयपुर				

क्रमांक.प .21(प्रशा)/विविध / 3 /

दिनांक: 11 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश संख्या 85/2025

इस विभाग दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में कार्यरत संस्थापन अधिकारी (Level in Pay Matrix L-15) की अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	कार्यालय	जन्म तिथि	संस्थापन अधिकारी पद पर पदोन्नति			विशेष विवरण
					वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	उपस्थिति दिनांक	
1	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री बट्टी प्रसाद शर्मा	सामान्य	निदेशालय, जयपुर	15.07.1965	2023-24	01.04.2023	06.10.2023	सेवानिवृत्त 31.07.2025
2	श्री अनिल कुमार पारीक	सामान्य	क्षे.का. जोधपुर	05.04.1969	2024-25	01.04.2024	04.09.2024	—
3	श्री लोकेश भटनागर	सामान्य	क्षे.का. उदयपुर	18.09.1973	2024-25	01.04.2024	02.09.2024	—

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) में कोई आपत्ति हो तो वह अपना अभ्यावेदन उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पूर्ण तथ्यो/नियमों सहित कार्यालय को प्रस्तुत करे। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदनों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

(मेवाराम जाट)

निदेशक

क्रमांक :- प.1(ख)1स्था./संस्था. अधि./वरि.निर्धा.पदस्थापन/2024/2466-2475 दिनांक :- 11 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों को आपके स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये निजी पंजिका में एक प्रति पत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।
- सामान्य प्रशासन सीट द्वितीय, निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अशोक कुमार शर्मा संस्थापन अधिकारी को आपके स्तर से फोटोप्रति कराकर संबंधित कार्मिक की निजी पंजिका में एक प्रति पत्रित करे।
- श्रीसंस्थापन अधिकारी, निदेशालय, क्षे.का. जोधपुर/उदयपुर।
- निजी पंजिका श्री संस्थापन अधिकारी।
- रक्षित पत्रावली।

(शिवचरण मीना)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)